

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

पत्रांक: 1(43) राज.-6/16/84

जयपुर, दिनांक 22.07.2019

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20, खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क-4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3) कार्मिक/क-4/2019, दिनांक 12.07.2019 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क. सं.	नाम अधिकारी (सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती)	फील्ड प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1.	मधुलिका सीवर	कोटा
2.	अनुज भारद्वाज	दौसा
3.	प्रियंका बड़गुजर	टोंक
4.	राजीव शर्मा	सीकर
5.	शकुन्तला	बीकानेर
6.	संजय कुमार गोरा	अलवर
7.	प्रियंका बिश्नोई	पाली
8.	मृदुला शंखावत	जोधपुर
9.	अर्चना व्यास	जैसलमेर
10.	पंकज गढ़वाल	श्रीगंगानगर
11.	शैलेश खैरवा	अजमेर
12.	मासिंगाराम	राजसमन्द
13.	प्रमोद कुमार	जालौर
14.	मनीष कुमार जाटव	भरतपुर
15.	अंशुल कुमार सिंह	भीलवाडा
16.	राजेश कुमार मीना	टोंक
17.	विनित कुमार सुखाडिया	चित्तौड़गढ़
18.	श्याम सुन्दर बिश्नोई	बाडमेर
19.	हरि सिंह	बाँसवाडा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Girraj
22-7-19